भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1310
दिनांक 03 दिसम्बर, 2024/ 12 अग्रहायण,1946 (शक) को उत्तर के लिए

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत वित्तीय सहायता

†1310. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री श्रीमती शांभवी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत वित्तीय सहायता को अन्य बाढ़ प्रभावित राज्यों तक विस्तारित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या बाढ़ प्रभावित राज्यों में मौके पर आकलन के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) तैनात किए गए हैं और यदि हां, तो विशिष्ट राज्य कौन-कौन से हैं और उनके निष्कर्ष क्या हैं;
(ग) क्या सरकार आईएमसीटी आकलन के बाद राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो अनुमोदन के मानदंड क्या हैं;
(घ) क्या आपदा प्रभावित क्षेत्रों मे एनडीआरएफ, सेना और वायु सेना की टीमों की तैनाती सहित समय पर रसद सहायता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को निरंतर सहायता सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो राहत और प्रशमन के लिए दीर्घकालिक रणनीति क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 1310, दिनांक 03.12.2024

(क) से (ग): आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, उनके पास पहले से मौजूद राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाती है और अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। इसके अलावा, अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ के तहत वित्तीय सहायता राहत के रूप में दी जाती है, न कि नुकसान/ दावा किए गए नुकसान की भरपाई के लिए।

2024-25 के दौरान 25.11.2024 तक, प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए असम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, केरल, नागालैंड, त्रिपुरा, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा राज्यों के लिए कुल 12 आईएमसीटी गठित की गई हैं। आईएमसीटी की रिपोर्ट पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित स्थापित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है।

(घ): देश में बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए उचित तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर अच्छी तरह से स्थापित संस्थागत तंत्र हैं। प्रभावी राहत और प्रतिक्रिया के लिए सहायता प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय प्रभावित राज्यों के साथ लगातार संपर्क में रहता है। भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली रसद सहायता में आवश्यक संसाधन जुटाना शामिल है, जैसे कि विमान/ हेलीकॉप्टर और नावों/ बीएयूटीएस की तैनाती, सशस्त्र बलों की विशेषज्ञ टीमें और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआर फोर्स) की अपेक्षित टीमें, राहत सामग्री और आवश्यक वस्तुओं का प्रावधान, जिसमें मेडिकल स्टोर शामिल हैं, संचार नेटवर्क सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की बहाली और ऐसी अन्य सहायता जो प्रभावित राज्यों द्वारा स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक हो सकती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून 2024 के दौरान सशस्त्र बलों और एनडीआरएफ की तैनाती का विवरण **अनुलग्नक** में है।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 1310, दिनांक 03.12.2024

(ङ): 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) की स्थापना की है और तेलंगाना को छोड़कर अन्य सभी राज्य सरकारों ने शमन उपायों के उद्देश्य से राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) की स्थापना की है। ये निधियाँ विशेष रूप से एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आने वाली अधिसूचित आपदाओं और राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित राज्य-विशिष्ट स्थानीय आपदाओं के संबंध में शमन परियोजनाओं के उद्देश्य से हैं। केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए एनडीएमएफ के तहत 13,693 करोड़ रुपये और एसडीएमएफ के तहत 32,031 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। राज्य सरकारें बाढ़ सहित विभिन्न आपदाओं के लिए शमन गतिविधियाँ कर सकती हैं, जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा एसडीएमएफ और एनडीएमएफ के लिए क्रमशः 14.01.2022 और 28.02.2022 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, और 25 सितंबर, 2024 को संशोधित किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने 14.08.2024 को एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो के गठन और प्रशासन के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। गंभीर आपदा के मामले में, राज्य सरकार को रिकवरी और पुनर्निर्माण की जरूरतों के विस्तृत आकलन के लिए आपदा-पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) आयोजित करने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय टीम का गठन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, राज्य सरकार पीडीएनए रिपोर्ट के आकलन के आधार पर एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ से वित्त पोषण के लिए परियोजनाएं/ गतिविधियां तैयार करेगी।

ये दिशानिर्देश गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

******

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 1310, दिनांक 03.12.2024

अनुलग्नक

दक्षिण-पश्चिम मानसून 2024 के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीआरएफ, भारतीय तटरक्षक और सशस्त्र बलों की तैनाती

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और भारतीय तट रक्षक (आईसीजी)

राज्य का नाम	आपदा / विपत्ति का प्रकार	बचाव दलों की तैनाती	
		एनडीआरएफ	भारतीय तट रक्षक
आन्ध्र प्रदेश	बाढ़	43	-
अरुणाचल प्रदेश	बाढ़	05	-
असम	बाढ़	21	-
बिहार	बाढ़	25	-
छत्तीसगढ़	बाढ़	01	-
गोवा	-	-	-
गुजरात	बाढ़	30	-
	चक्रवात (एएसएनए)	-	हेलीकॉप्टर -02, जहाज - 02, बचाव दल - 21
हरियाणा	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	बाढ़	08	-
झारखंड	बाढ़	04	-
	इमारत ढहना	01	-
कर्नाटक		08	-
केरल	बाढ़	09	-
	भूस्खलन	04	हेलीकॉप्टर - 02, जहाज - 01, बचाव दल - 03
मध्य प्रदेश	बाढ़	06	-
महाराष्ट्र	बाढ़	19	-
मणिपुर	बाढ़	06	-
मेघालय	बाढ़	01	-
मिजोरम	-	-	-
नागालैंड	बाढ़	02	-

उड़ीसा	बाढ़	06	-
पंजाब	बाढ़	-	-
राजस्थान	बाढ़	08	-
सिक्किम	-	-	-
	भूस्खलन	01	-
तमिलनाडु	बाढ़	14	-
तेलंगाना	बाढ़	13	-
त्रिपुरा	बाढ़	12	-
उत्तर प्रदेश	बाढ़	24	-
उत्तराखंड	बाढ़	14	-
	भूस्खलन	03	-
पश्चिम बंगाल	बाढ़	22	-
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	बाढ़	01	-
चंडीगढ़	-	-	-
दमन और द्वीव	-	-	-
दिल्ली	बाढ़	07	-
लक्षद्वीप	-	-	-
पुदुचेरी	बाढ़	03	-
लद्दाख	-	-	-
जम्मू और कश्मीर	बाढ़	02	-

<u>सशस्त्र बल</u>

राज्य का नाम	आपदा / विपत्ति का प्रकार	बचाव टुकड़ियों/ टीमों/ परिसंपत्तियों की तैनाती		
		सेना	वायु सेना	नौसेना
मिजोरम, मणिपुर और असम	बाढ़	कॉलम-21, ईटीएफ-03, मेडिकल टीम-01	-	-
असम और अरुणाचल प्रदेश	बाढ़	कॉलम-11, ईटीएफ-02	विमान -01	-

उत्तराखंड	बाढ़	कॉलम-02	हेलीकॉप्टर - 02	
कर्नाटक	बाढ़	कॉलम-04	हेलीकाप्टर - 06, कैडावर कुत्ते - 03, एसओजी-78	डाइविंग टीम -02, सोनार टीम -02
केरल	बाढ़	-	-	01
हिमाचल प्रदेश	बादल फटना	07	-	-
महाराष्ट्र	बाढ़	04	हेलीकॉप्टर - 02	-
पूर्वी कमान (अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा)	बाढ़	08	विमान - 08	
गुजरात	बाढ़	12	हेलीकॉप्टर - 03	बचाव दल - 03
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	बाढ़	-	हेलीकॉप्टर - 07	हेलीकॉप्टर - 04, बाढ़ राहत - 10 और गोताखोर दल - 02
मध्य प्रदेश और राजस्थान	बाढ़	05	-	-
बिहार	बाढ़	-	हेलीकॉप्टर - 05	-

******